UPBS120001852020

न्यायालय CIVIL JUDGE (J.D. KLD. at BASTI), Basti

पीठासीन अधिकारी– (DIKSHA AGARWAL), (उ०प्र० न्यायिक सेवा)– UP03335

मूलवाद संख्या 143/2020

राघवराम बनाम लवकुश

10.09.2021

पत्रावली वास्ते आदेशार्थ पेश हुई। विगत तिथि पर उभयपक्ष को प्रार्थनापत्र कागज सं० 6ग2 एवं 26ग2 पर सुना जा चुका है।

निस्तारण प्रार्थना पत्र कागज सं० 6ग2 एवं 26ग2–

वादी द्वारा प्रार्थना पत्र 6ग2 प्रस्तुत करते हुए यह अभिकथन किया गया है कि वादी एवं प्रतिवादी मौजा डेल्हवा के निवासी हैं तथा पूर्वजों के समय से आबाद है। उपरोक्त मौजा की आबादी का सरकारी बंटवारा हो चुका है। शिकमी नम्बर 129 कोर्रा आबादी में मथुरा मुराव के नाम दर्ज है। मथुरा मुराव वादीगण के पूर्वज थे। शिकमी नम्बर 124 मथुरा के नाम दर्ज है। शिकमी नम्बर 124 में वादीगण के पूर्व हितधारी मथुरा का मकान, सहन कायम था। इसी प्रकार वादी पूर्वजों के समय से शिकमी नम्बर 129 में आबाद चले आ रहे हैं। शिकमी नम्बर 129 के पूरब शिकमी नम्बर 130 स्थित है, जो गली के रूप में है। उसी में 4 फिट चौड़ी नाली स्थित है। इस गली से होकर वादीगण एवं गांव के लोग आते–जाते हैं और इसी नाली से पूरे गांव का पानी बहता है, जिसे प्रतिवादी जबरदस्ती बन्द कर देना चाहता है। यदि प्रतिवादी अपने उद्देश्य में सफल हो गया तो वादीगण की अपूर्णीय क्षति होगी। प्रथम दृष्टया केस एवं सुविधा का सन्तुलन वादी के पक्ष में है। ऐसी दशा में प्रतिवादी को दौरान मुकदमा विवादित भूमि शिकमी नम्बर 129 अक्षरान ए,बी,सी,डी प्रदर्शित नक्शा नजरी वादपत्र में हस्तक्षेप करने से मना किया जाना आवश्यक है।

प्रतिवादी द्वारा प्रार्थनापत्र 6ग2 पर आपत्ति 24ग2 दाखिल करते हुए अभिकथन किया गया है कि प्रतिवादी के पिता आद्या प्रसाद, चाचा उमापति, रमापति पुत्र हरिप्रसाद दुबे को शिकमी नम्बर 125, 126, 127, 128, 130, 38/1, 39 के कुल रकबे का 1/2 भाग तथा शिकमी नम्बर 1/2, 2, 35/2, 38/4, 40, 45/1, 44, 123/1 का 1/6 भाग अर्थात कुल रकबा 0–4–19½ का बैनामा विंध्याचल पुत्र देवी दयाल ने दिनांक 01.02.1985 को करके कब्जा दखल भी दे दिया। तब से प्रतिवादी के पिता एवं चाचा उक्त भूमि पर मालिक काबिज चले आ रहे हैं। विवादित भूमि अक्षरान ए,बी,सी,डी प्रदर्शित नक्शा नजरी वादपत्र को गलत तौर पर अंकित करके प्रतिवादी की जमीन को दर्शित किया गया है। उक्त भूमि पर वादी का कब्जा दखल न कभी था और न आज है। अतः प्रार्थनापत्र 6ग2 निरस्त होने योग्य है।

प्रतिवादी/काउन्टरक्लेमकर्ता द्वारा प्रार्थनापत्र कागज सं० 26ग2 अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1, 2 व धारा 151 जा०दी० दाखिल करते हुए यह अभिकथन किया गया है कि प्रतिवादी के पिता आद्या प्रसाद, चाचा उमापति, रमापति पुत्र हरिप्रसाद दुबे को शिकमी नम्बर 125, 126, 127, 128, 130, 38/1, 39 के कुल रकबे का 1/2 भाग तथा शिकमी नम्बर 1/2, 2, 35/2, 38/4, 40, 45/1, 44, 123/1 का 1/6 भाग अर्थात कुल रकबा 0–4–19½ का बैनामा विंध्याचल पुत्र देवी दयाल ने दिनांक 01.02.1985 को करके कब्जा दखल भी दे दिया। तब से प्रतिवादी के पिता एवं चाचा उक्त भूमि पर मालिक काबिज चले आ रहे हैं। उक्त भूमि से वादी का कोई वास्ता सरोकार न कभी था और न आज है। यदि वादी अपने उद्देश्य में सफल हो गया तो प्रतिवादी की अपूर्णीय क्षति होगी। प्रथम दृष्टया केस एवं सुविधा का सन्तुलन प्रतिवादी के पक्ष में है। ऐसी दशा में वादी को दौरान मुकदमा विवादित भूमि शिकमी नम्बरान 125, 126, 127, 128, 130, 38/4 अक्षरान अ,ब,स,द,य,र,ल,व प्रदर्शित नक्शा नजरी काउन्टरक्लेम में हस्तक्षेप करने से मना किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है।

वादी द्वारा प्रार्थनापत्र 26ग2 पर आपत्ति 47ग2 दाखिल करते हुए यह अभिकथन किया गया है कि शिकमी नम्बर 124 में वादीगण के पूर्व मथुरा मुराव का मकान, सहन स्थित था। शिकमी नम्बर 129 में बेरहा था, जिसका उपयोग किचेन गार्डन के रूप में करते थे। शिकमी नम्बर 125 परती थी, जिसमें वादीगण ने ईंट की दीवाल पर सीमेन्ट सेड की सीट से किचन का निर्माण कर रखा है। शिकमी नम्बर 124, 125, 129 के किसी अंश में काउन्टरक्लेमकर्ता का कोई वास्ता सरोकार नहीं है। उक्त शिकमी नम्बरान पर पूर्वज वादीगण का कब्जा होने के कारण वह उनके पक्ष में सेटिल कर गए। कथित बैनामा दिनांकित 01.02.1985 फर्जी एवं शून्य दस्तावेज है, जिसकी कोई पाबन्दी वादीगण पर नहीं है। विवादित शिकमी नम्बर में स्थित भोजनालय, सहन व कुआं वादीगण एवं उनके पिता द्वारा बनवाया हुआ है, जिस पर वादीगण बतौर मालिक काबिज हैं। इसलिए प्रथम दृष्टया केस एवं सुविधा का सन्तुलन वादी के पक्ष में है। अतः प्रार्थनापत्र 26ग2 निरस्त होने योग्य है।

वादीगण द्वारा अपने अभिकथन के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में सूची 10ग1 द्वारा नकल कोर्रा आबादी हिन्दी अनुवाद कागज सं० 11ग1, नकल खसरा आबादी हिन्दी अनुवाद कागज सं० 12ग1, छायाप्रति नक्शा आबादी कागज सं० 13ग1, नकल कोर्रा आबादी कागज सं० 14ग1, नकल खसरा आबादी कागज सं० 15ग1, छायाप्रति नक्शा आबादी कागज सं० 16ग1, पत्रावली पर दाखिल किया गया है।

प्रतिवादी/काउन्टरक्लेमकर्ता द्वारा अपने अभिकथन के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में सूची 29ग1 द्वारा नकल कोर्रा व खसरा आबादी हिन्दी अनुवाद कागज सं० 30ग1/1 व 30ग1/2, छायाप्रति कोर्रा व खसरा आबादी कागज सं० 31ग1/1 लगायत 31ग1/3, असल दस्तावेज बैनामा कागज सं० 32क1/1 लगायत

32क1/4, नकल नक्शा आबादी कागज सं० 34ग1, नकल डिक्री मूलवाद सं० 310/2008 कागज सं० 37ग1/1 लगायत 37ग1/5, नकल वादपत्र एवं वादोत्तर मूलवाद सं० 310/2008 कागज सं० 36ग1/1 लगायत 36ग1/11, पत्रावली पर दाखिल किया गया है।

पत्रावली का अवलोकन किया।

अस्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष दिए जाने हेतु निम्नलिखित 3 बिन्दुओं पर परिशीलन आवश्यक हैः–

1– प्रथम दृष्टया केस।

2– सुविधा का संतुलन।

3– अपूर्णीय क्षति।

जहां तक प्रथम दृष्टया केस का सम्बन्ध है, वादी ने वादपत्र के पैरा–2 में कथन किया है कि वादी एवं प्रतिवादी एक ही मौजा डेल्हवा के पुराने निवासी हैं तथा अपने पूर्वजों के जमाने से मौजा निजाई में आबाद चले आ रहे हैं। आबादी का सरकारी बंटवारा दिनांक 15.09.1908 में हो चुका है। कोर्रा आबादी में शिकमी नम्बर 129 मथुरा मुराव के नाम दर्ज है, जो वादी के पूर्वज हैं। उक्त भूमि में वादीगण के पूर्व हितधारी साग सब्जी बोने का काम करते थे। परिवार बढ़ने के साथ शिकमी नम्बर 129 में घारी, चरन बनाकर पशुओं को बांधने का काम करने लगे। इसी प्रकार वादीगण शिकमी नम्बर 129 में आबाद चले आ रहे हैं।

प्रतिवादी द्वारा अपनी आपत्ति कागज सं० 24ग2 में कहा गया है कि विंध्याचल पुत्र देवी दयाल ने शिकमी नम्बरान 125, 126, 127, 128, 130 का बैनामा दिनांक 01.02.1985 को प्रतिवादी के पिता अद्या प्रसाद एवं चाचा उमापति व रमापति के पक्ष में कर दिया गया था। प्रतिवादी ने स्वीकार किया है कि मौजा उपरोक्त का सरकारी बंटवारा दिनांक 15.09.1908 को हो चुका है। प्रतिवादी द्वारा अपनी आपत्ति में शिकमी नम्बर 129 का जिक्र नहीं किया है।

वादी द्वारा अपने अभिकथन के समर्थन में नकल कोर्रा आबादी हिन्दी अनुवाद कागज सं० 11ग1, नकल खसरा आबादी हिन्दी अनुवाद कागज सं० 12ग1 दाखिल किया गया है, जिसके अवलोकन से विदित होता है कि विवादित शिकमी नम्बर 129 वेरहा मथुरा मुराव आदि के नाम अंकित है। वादपत्र में दर्शित सेजरा खानदान के अनुसार मथुरा वादीगण के पूर्वज थे। इस स्तर पर प्रश्नगत सम्पत्ति वादीगण के पूर्वजों का होना दर्शित है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया केस वादी के पक्ष में बनना परिलक्षित होता है।

जहां तक सुविधा के सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति का प्रश्न है, उभयपक्ष द्वारा स्वीकार किया गया है कि मौजा उपरोक्त का सरकारी बंटवारा दिनांक 15.09.1908 को हो चुका है। परन्तु वादी द्वारा उपलब्ध प्रपत्रों के अवलोकन से विवादित शिकमी नम्बर 129 पर वादी का कब्जा होना दर्शित नहीं हो रहा है। नक्शा नजरी वादपत्र एवं प्रतिवादपत्र के

अवलोकन से विवादित भूमि पर किसका कब्जा है, यह तथ्य साबित नहीं हो पा रहा है, न ही नक्शा नजरी में दर्शित है। वादीगण ने विवादित सम्पत्ति को अक्षरान ए,बी,सी,डी से प्रदर्शित किया है, जबकि प्रतिवादी/काउन्टरक्लेमकर्ता ने विवादित सम्पत्ति को नक्शा नजरी में अक्षरान अ,ब,स,द एवं य,र,ल,व से प्रदर्शित किया है। उक्त नक्शा नजरी एक दूसरे के पूर्णतया विपरीत हैं। यहां यह तथ्य दृष्टव्य है कि पत्रावली में अमीन रिपोर्ट संलग्न नहीं है, जिससे मौके की स्थिति (नवईयत) न्यायालय के समक्ष स्पष्ट नहीं है। वादीगण द्वारा उक्त विवादित सम्पत्ति पर पूर्वजों का आबाद चले आना बताया गया है तथा प्रतिवादी / काउन्टरक्लेमकर्ता द्वारा उक्त विवादित भूमि को बैनामा द्वारा लिया जाना बताया गया है। उक्त बैनामे में शिकमी नम्बर 129 का जिक्र नहीं किया गया है। चूंकि वर्तमान में पत्रावली में अमीन आख्या आहूत नहीं की गयी है एवं उभयपक्ष विवादित सम्पत्ति पर अपना –अपना स्वामित्व एवं कब्जा होना कह रहे हैं, ऐसे में विवादित सम्पत्ति के वास्तविक स्वामी के हितों के संरक्षण एवं सम्पत्ति के परिरक्षण हेतु उभयपक्ष को मौके पर यथास्थिति बनाये रखने का आदेश पारित किया जाना समीचीन प्रतीत होता है। तदनुसार प्रार्थनापत्र 6ग2 एवं 26ग2 निस्तारित किए जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

उभयपक्ष को आदेशित किया जाता है कि वे दौरान मुकदमा विवादित सम्पत्ति के सम्बन्ध में मौके पर यथास्थिति बनाए रखें। तदनुसार प्रार्थना पत्र कागज सं० 6ग2, आपत्ति कागज सं० 24ग2 एवं प्रार्थनापत्र कागज सं० 26ग2, आपत्ति कागज सं० 47ग2 निस्तारित। पत्रावली वास्ते वादबिन्दु दिनांक 21.09.2021 को पेश हो।

सिविल जज (जू०डि०),
खलीलाबाद स्थान–बस्ती।